संख्या- 1127/15-7-15(29)/1997

प्रेषक,

श्री [illegible],
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार नई दिल्ली।

NOC

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 17 सितम्बर, 1997

विषय:- सेन्ट एन्थोनी गर्ल्स स्कूल रामपुर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट एन्थोनी गर्ल्स स्कूल रामपुर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की [illegible] का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 25 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को ~~सम्बद्धता हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन~~ स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(5) संस्था [illegible] [illegible] को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से, कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

...2/-

PRINCIPAL [illegible] GIRLS RAMPUR (U.P.)

16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें वेतनमान प्राप्त प्रादेशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुरूप सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

1। विद्यालय के स्वामित्व में पर्याप्त भूमि तथा शासनादेश दिनांक 30-11-91 के मानकों के अनुरूप भवन विद्यालय के संचालन हेतु उपलब्ध है जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय तथा क्रीड़ास्थल का निर्धारित माप के बनाये गये हैं।

2। विद्यालय के पास छात्रों के लिए फर्नीचर मानकानुरूप उपलब्ध है।

3। विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन मानकानुरूप तथा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान व्यवस्थानुरूप किया जा रहा है।

3- उक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती गयी है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव।

पत्रांक 3127(1)/15-7-1997 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- प्रबन्धक, सेन्ट एन्थोनी गर्ल्स स्कूल रामपुर।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव।

31/07/18

Manager
St. Anthony School For Girls
Behind Shish Palace
Rah-e-Murtaza, Rampur (U.P.)

ST. ANTHONY'S SCHOOL FOR GIRLS
PRINCIPAL
RAMPUR (U.P.)